NESTLÉ INDIA LIMITED

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001 Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in; Ph: 011-23418891

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This Notice is published, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, read with the relevant circulars and amendments thereto ('IEPF Rules'), that the Company has informed to the shareholders concerned regarding transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority in accordance with the IEPF Rules, in case they do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid / unclaimed for last seven consecutive years, by the next due date of transfer i.e. 19" June 2022. The details of such shareholders including their name and folio number or DP-Client ID number are available on the Investors Section of the Company's website www.nestle.in.

For the shares/dividends already transferred to IEPF Authority, the shareholders can claim such shares/dividends by making an online application to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the IEPF Rules and the same is available along with all details at IEPF website www.iepf.gov.in.

For NESTLÉ INDIA LIMITED

General Counsel & Company Secretary

Date: 17-03-2022 Place: Gurugram

FINANCIAL EXPRESS Fri, 18 March 2022

READ TO LEAD https://epaper.financialexpress.com/c/6695090



(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेंड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001 ई-मेल: investor@in.nestle.com वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891

इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेत

विषय : विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सचना कम्पनी अधिनियम, 2013, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और इनके सम्बद्ध परिपत्रों एवं संशोधनों ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जाती है कि कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरक्षारकों को उनके शेयरों का आईईपीएफ नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण के विषय में सूचित कर दिया है, यदि ये शेयरधारक अपने ऐसे किसी लामांश(शों) का नकदीकरण नहीं करते हैं जो कि अंतरण की अगली नियत तिथि 19 जुन 2022 तक लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त / दावारहित रहते हैं। नाम तथा फोलियों नम्बर अथवा डीपी-क्लाइंट आईडी संख्या सहित ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in के Investors Section पर उपलब्ध है।

आईईपीएफ प्राधिकरण को पहले से ट्रांसफर किए गए शेयरों / लाभांशों के लिए, शेयरधारक आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को ऑनलाईन आवेदन करके ऐसे शेयरों / लामांशो का दावा कर सकते हैं और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in पर सभी विवरणों के साथ उपलब्ध है।

कृते नेस्ले इण्डिया लिमिटेड

बी. मुरली

जनरल काउंसल एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 17.03.2022 स्थान : गुरुग्राम

Fri, 18 March 2022 जनसता https://epaper.jansatta.com/c/66950909

